

यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी- हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख फैसला

13 / 2024

06 / 03 / 2024

13 / 09 / 2025

- 1 सत्येन्द्र पुत्र श्री किशनलाल उम्र 32 वर्ष जाति मीना निवासी रनोदिया तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
- 2 गौरव पुत्र श्री किशनलाल उम्र 27 वर्ष जाति मीना निवासी रनोदिया तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीगण

बनाम

1. किशनलाल पुत्र श्री सरवन उम्र 60 वर्ष जाति मीना निवासी रनोदिया तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88 आर० टी० एक्ट

निर्णय

1. यह कि प्रतिवादी क्रम 01 वादीगण के पिता है तथा प्रतिवादी क्रम 01 किशनलाल पुत्र श्री सरवन जाति मीना निवासी रनोदिया तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० कि खातेदारी मे जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 कि खेवट खतौनी नयी 25 व पुरानी 32 खसरा संख्या रकबा 450 रकबा 5.50 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 455 रकबा 1.66 हैक्टेयर नहरी प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 7.16 हैक्टेयर वाके माल गणेशगंज पटवार हल्का गणेशगंज भू: अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में स्थित है। इसी प्रकार ग्राम गोन्दी पटवार हल्का गणेशगंज भू: अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० मे जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 कि खेवट खतौनी नयी 18 व पुरानी 19 खसरा संख्या रकबा 403 रकबा 1.37 हैक्टेयर बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 420 रकबा 0.49 हैक्टेयर बारानी द्वितीय, खसरा संख्या रकबा 521 रकबा 0.07 हैक्टेयर बारानी द्वितीय, कुल किता 3 कुल रकबा 1.93 हैक्टेयर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम रनोदिया पटवार हल्का रनोदिया भू: अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र विनायका तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० मे जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 कि खेवट खतौनी नयी 22 व पुरानी 23 खसरा संख्या रकबा 566 रकबा 0.26 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा संख्या 584 रकबा 0.34 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा संख्या रकबा 585 रकबा 0.07 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा संख्या रकबा 593 रकबा 0.26 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा संख्या रकबा 680 रकबा 0.03 हैक्टेयर बारानी प्रथम, कुल किता 5 कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर स्थित है। जिन्हे वाद पत्र में आगे विवादित आराजीयाज् सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि प्रतिवादी 01 कि खातेदारी में स्थित उक्त विवादित कृषि आराजीयात् वंशानुगत पेटूक रूप से खातेदारी मे चली आ रही है। उक्त कृषि आराजी मे से किसी भी खसरा नम्बर कि आराजी प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा स्वअर्जित नहीं है तथा उक्त विवादित कृषि भूमियो से ही होने वाले लाभ से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 01 के परिवार का जीवन यापन होता है। यह कि प्रतिवादी क्रम 01 की खातेदारी में दर्ज उक्त विवादित आराजीयात् प्रतिवादी को पेटूक रूप से प्राप्त हुई है। जो वंशानुगत चली आ रही है जिसका एक मात्र खातेदार प्रतिवादी क्रम 01 है जिसको अपने दोनो पुत्रो मे वादीगण व

  
सहायक कलेक्टर  
इटावा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी में प्रत्येक सम्पूर्ण कृषि आराजी में 1/3, 1/3 भाग जीवन यापन के लिये बहामी (मौखिक) पारिवारिक बटवारा किया हुआ है। और उक्त बहामी बटवारे के अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। जिससे होने वाली आय से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 अपने-अपने परिवारों का पालन पोषण पृथक-पृथक रहकर करते चले आ रहे हैं।

3. वाके माल गणेशगंज पटवार हल्का गणेशगंज भू: अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में स्थित जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 कि खेवट खतौनी नयी 25 व पुरानी 32 खसरा संख्या रकबा 450 रकबा 5.50 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 455 रकबा 1.66 हैक्टेयर नहरी प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 7.16 हैक्टेयर व जमाबंदी ग्राम गोन्दी पटवार हल्का गणेशगंज भू: अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 कि खेवट खतौनी नयी 18 व पुरानी 19 खसरा संख्या रकबा 403 रकबा 1.37 हैक्टेयर बारानी दितीय, खसरा संख्या 420 रकबा 0.49 हैक्टेयर बारानी दितीय, खसरा संख्या रकबा 521 रकबा 0.07 हैक्टेयर बारानी दितीय, कुल किता 3 कुल रकबा 1.93 हैक्टेयर व जमाबंदी ग्राम रनोदिया पटवार हल्का रनोदिया भू: अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र विनायका तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 कि खेवट खतौनी नयी 22 व पुरानी 23 खसरा संख्या रकबा 566 रकबा 0.26 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा संख्या 584 रकबा 0.34 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा संख्या रकबा 585 रकबा 0.07 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा संख्या रकबा 593 रकबा 0.26 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा संख्या 680 रकबा 0.03 है० बारानी प्रथम, कुल किता 5 कुल रकबा 0.96 है० में वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 को पारिवारिक अविभाजन में निहित अपने-अपने हिस्से 1/3-1/3 का विभाजन किया जाकर पृथक खाता, पृथक लगान, कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे।
4. वादी की ओर से वादी श्री हरिमोहन मीणा एड० ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि० किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्जे सम्मन की गई। प्रतिवादीक्रम 1 की ओर से श्याम बैरवा एड० ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीक्रम 1 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया। वादीगण और प्रतिवादीक्रम 1 ने उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया।
5. राजीनामा:—

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 आपस में पिता-पुत्र है, वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है उक्त विवादित भूमि पैत्रिक संपत्ति है जो वंशानुगत प्रतिवादी क्रम 1 को विरासत से प्राप्त हुई है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 लोक अदालत की प्रेरणा से प्रेरित होकर उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए राजीनामा करना चाहते हैं, राजीनामा निम्न प्रकार है :—

1—वादी क्रम 1—सत्येद्र पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी रनोदिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० का हिस्सा इस प्रकार है:—

खसरा	रकबा	किस्म
450 उत्तर दिशा	2.75 है.	नहरी प्रथम
455	0.83 है.	नहरी प्रथम
2 किता	3.58 है.	नहरी प्रथम

  
 सहायक कलेक्टर  
 इटावा जिला कोटा (राज.)

2-वादी कम 2 गौरव पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी रनोदिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० का हिस्सा इस प्रकार है:-


खसरा	रकबा	किस्म
450/1 दक्षिण दिशा	2.75 है.	नहरी प्रथम
455/1	0.83 है.	नहरी प्रथम
2 किता	3.58 है.	नहरी प्रथम

3- प्रतिवादी कम 1 किशनलाल पुत्र श्रवणलाल जाति मीणा निवासी रनोदिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० का हिस्सा इस प्रकार है :-

खसरा	रकबा	किस्म
566	0.26 है०	चाही प्रथम
584	0.34 है०	चाही प्रथम
585	0.07 है०	चाही प्रथम
593	0.26 है०,	चाही प्रथम
680	0.03 है०	बारानी प्रथम
5 किता	कुल रकबा 0.96 है०	

अतः राजीनामा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 का विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जावे एवं विभाजन प्रस्ताव मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में तरमीम कर इस आशय की डिक्री जारी की जावे।

अतः वादीगण व प्रतिवादक्रम 1 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वाके माल गणेशगंज पटवार हल्का गणेशगंज भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में स्थित जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 कि खेवट खतौनी नयी 25 व पुरानी 32 खसरा संख्या रकबा 450 रकबा 5.50 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 455 रकबा 1.66 हैक्टेयर नहरी प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 7.16 हैक्टेयर वादीक्रम 1 सत्येन्द्र पुत्र किशनलाल ख०नं० 450 उत्तर दिशा रकबा 2.75 है० नहरी प्रथम, ख०नं० 455 रकबा 0.83 है० नहरी प्रथम तथा वादीक्रम 2 गौरव पुत्र किशनलाल ख०नं० 450/1 दक्षिण दिशा रकबा 2.75 है० नहरी प्रथम, ख०नं० 455/1 रकबा 0.83 है० नहरी प्रथम तथा वाके ग्राम रनोदिया पटवार हल्का रनोदिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र विनायका तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 कि खेवट खतौनी नयी 22 व पुरानी 23 खसरा संख्या रकबा 566 रकबा 0.26 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा संख्या 584 रकबा 0.34 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा संख्या रकबा 585 रकबा 0.07 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा संख्या रकबा 593 रकबा 0.26 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा संख्या 680 रकबा 0.03 है० बारानी प्रथम, कुल किता 5 कुल रकबा 0.96 है० प्रतिवादी क्रम 1 किशनलाल पुत्र श्रवणलाल, वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर तहसीलदार पीपल्दा को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

  
सहायक कलक्टर  
फास्ट-ट्रेक इटावा

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रेक इटावा जिला कोटा  
डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रेक इटावा जिला कोटा  
पीठासीन अधिकारी- हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख फैसला

13 / 2024

06 / 03 / 2024

13 / 09 / 2025

1. सत्येन्द्र पुत्र श्री किशनलाल उम्र 32 वर्ष जाति मीना निवासी रनोदिया तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. गौरव पुत्र श्री किशनलाल उम्र 27 वर्ष जाति मीना निवासी रनोदिया तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीगण

बनाम

1. किशनलाल पुत्र श्री सरवन उम्र 60 वर्ष जाति मीना निवासी रनोदिया तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 53,88 आर० टी० एक्ट

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरू बहाजिरी श्री हरिमोहन मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम गणेशगंज पटवार हल्का गणेशगंज भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में स्थित जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 कि खेवट खतौनी नयी 25 व पुरानी 32 खसरा संख्या रकबा 450 रकबा 5.50 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 455 रकबा 1.66 हैक्टेयर नहरी प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 7.16 हैक्टेयर वादीकम 1 सत्येन्द्र पुत्र किशनलाल ख०नं० 450 उत्तर दिशा रकबा 2.75है० नहरी प्रथम, ख०नं० 455 रकबा 0.83है० नहरी प्रथम तथा वादीकम 2 गौरव पुत्र किशनलाल ख०नं० 450 / 1 दक्षिण दिशा रकबा 2.75है० नहरी प्रथम, ख०नं० 455 / 1 रकबा 0.83है० नहरी प्रथम तथा वाके ग्राम रनोदिया पटवार हल्का रनोदिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र विनायका तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० मे जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 कि खेवट खतौनी नयी 22 व पुरानी 23 खसरा संख्या रकबा 566 रकबा 0.26 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा संख्या 584 रकबा 0.34 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा संख्या रकबा 585 रकबा 0.07 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा संख्या रकबा 593 रकबा 0.26 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा संख्या 680 रकबा 0.03है० बारानी प्रथम, कुल किता 5 कुल रकबा 0.96है० प्रतिवादी कम 1 किशनलाल पुत्र श्रवणलाल, वादीगण व प्रतिवादी कम 1 का विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर तहसीलदार पीपल्दा को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

यह डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 13.09.2025 को जारी किया गया।

  
सहायक कलक्टर  
इटावा जिला कोटा (राज.)

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्रमनामा			बाबत इजराय हुक्रमनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		



सहायक कलक्टर  
फास्ट-ट्रेक इटावा